



पूर्व तट रेलवे/EAST COAST RAILWAY

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/

Office of the Chief Personnel Officer

रेल सदन, द्वितीय तल, भुवनेश्वर- 751 017

Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt.Srl. No. 99/2016

पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/ Pers/R/7thCPC

RBE NO-90/2016

दिनांक/Date: 29.07.2016

सेवा मे,

सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरू, संबलपुर,
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

विषय/

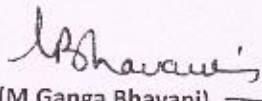
Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.

पूतरे के विषय क्रमांक/ECOR's Subject Serial No-VIIPC-1 /2016

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं PC-VII/2016/RSRP/1 दिनांक 28.07.2016 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's letter No. PC-VII/2016/RSRP/1 dated 28.07.2016 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

संलग्न/Encl: यथोक्त/As above,


(M.Ganga Bhavani)

Dy. Chief Personnel Officer (IR&W.)

कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to : महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर

1) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र. अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)

2) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ.), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)

वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.-
सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2016/श्रावण 6, 1938

No. 525]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2016/SRAVANA 6, 1938

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

आरबीई सं. 90/2016

सा.का.नि. 746(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 है।
- (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. रेलवे सेवकों की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होंगे:-

- (1) इन नियमों द्वारा या इसके अधीन अन्यथा प्रावधान के सिवाय, ये नियम रेल सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होंगे।
- (2) ये नियम:-
 - (i) पूर्व भारतीय राज्यों के रेलवे सेवाओं में समाहित स्थायी कर्मचारी बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी रेलवे सेवा के अंतर्गत सेवा की पूर्व समाहित शर्तों द्वारा शासित हों;

- (ii) विदेशों में राजनयिक, कांसुली अथवा अन्य भारतीय संस्थापनाओं में सेवा के लिए स्थानीय रूप से भर्ती किए गए व्यक्तियों;
- (iii) ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं;
- (iv) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है;
- (v) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें मासिक आधार से भिन्न अन्यथा आधार पर भुगतान किया जाता है; जिसके अंतर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें केवल उजरती आधार पर भुगतान किया जाता है।
- (vi) संविदा में निहित अन्यथा प्रावधान के सिवाय संविदा पर नियोजित व्यक्तियों;
- (vii) सेवानिवृत्ति के पश्चात् रेलवे सेवा में पुनःनियोजित व्यक्तियों;
- (viii) किसी अन्य श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा इन नियमों में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों अथवा किसी उपबंध के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें;

पर लागू नहीं होंगे।

3. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (i) "विद्यमान मूल वेतन" से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (ii) रेलवे सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को रेलवे सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अभिप्रेत है;
- (iii) रेलवे सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से, इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को, वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+, शीर्ष वेतनमान के लिए लागू वेतनमान में रेलवे सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान अभिप्रेत है।
- (iv) रेलवे सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में रेलवे सेवक द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति अथवा वेतनमान अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण- ऐसा रेलवे सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में था, अथवा यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में "विद्यमान मूल वेतन", "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" और "विद्यमान वेतनमान" शब्दों का यह अभिप्राय होगा कि - उस पद जो भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत से काम न कर रहे होने की सूरत में, जैसी भी स्थिति हो, उसने धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान;

- (v) "विद्यमान परिलब्धियों" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;
- (vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के लेवल तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा-निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;
- (vii) वेतन मैट्रिक्स में "लेवल" से, इन नियमों की अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुरूपी लेवल अभिप्रेत होगा।
- (viii) "लेवल में वेतन" से अनुसूची के भाग-क में यथा-विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (ix) किसी पद के संबंध में "संशोधित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।
- (x) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (xi) "संशोधित परिलब्धियों" से, संशोधित वेतन संरचना में किसी रेलवे सेवक के लेवल में वेतन अभिप्रेत है; और
- (xii) "अनुसूची" से, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

4. पदों के लेवल - संशोधित वेतन संरचना में पदों के लेवल का निर्धारण उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा-विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।

5. संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण - इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय रेलवे सेवक उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई रेलवे सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकता है :

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां रेलवे सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच प्रोन्नति अथवा उन्नयन के कारण उच्चतर ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में रखा गया हो तो वह रेलवे सेवक, यथास्थिति, ऐसी प्रोन्नति अथवा उन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में आने के विकल्प का चयन कर सकता है।

स्पष्टीकरण 1- इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण 2- उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर रेलवे सेवा में पहली बार नियुक्त अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।

स्पष्टीकरण 3- यदि कोई रेलवे सेवक भारतीय रेल सेवा स्थापना संहिता, वॉल्यूम II के नियम 1313 (एफआर 22) अथवा किसी अन्य नियम अथवा उस पद के लिए लागू आदेश के अधीन उस वेतन संरचना में वेतन के

विनियमन के प्रयोजन से नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में धारित पद की विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने के लिए इस नियम के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक वेतन या तो वह वास्तविक वेतन होगा जो उसने स्थायी पद जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है अथवा उसका ग्रहणाधिकार रहा होता यदि उसका ग्रहणाधिकार निरन्वित नहीं किया जाता, के संबंध में विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने पर आहरित किया होता या फिर स्थानापन्न पद का वेतन जो फिलहाल लागू किसी आदेश के अनुसरण में वास्तविक वेतन बन गया है, इनमें से जो भी अधिक हो।

6. विकल्प का प्रयोग-

- (1) नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों से संलग्न फॉर्म में लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात्पूर्वी किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाए।

बशर्ते कि-

- (i) ऐसा रेलवे सेवक जो ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, यथास्थिति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर देश से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन माह के अंदर उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाए; और
 - (ii) यदि रेलवे कर्मचारी 01 जनवरी, 2016 को निलंबन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी छुट्टी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अंदर करे यदि वह तारीख इस उप-नियम में नियत तारीख के बाद की तारीख हो।
- (2) रेलवे सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों से संलग्न फॉर्म में, एक बचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।
 - (3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, उप-नियम (1) में उल्लिखित समय के अन्दर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि रेलवे सेवक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया है।
 - (4) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा।

टिप्पण 1- ऐसे व्यक्तियों की जिनकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थीं और जो संस्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, उप-नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

टिप्पण 2- ऐसे व्यक्तियों की जिनकी 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय-सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस

संशोधित वेतन संरचना के विकल्प का चयन कर लिया है यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।

टिप्पण 3- ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, इस नियम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

7. संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण:

- (1) किसी रेलवे सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राष्ट्रपति, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, स्थायी पद जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है अथवा यदि ग्रहणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका ग्रहणाधिकार रहा होता, में उसके वास्तविक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के संबंध में निम्नलिखित विधि से अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:-

(क) सभी कर्मचारियों के मामले में:-

- (ii) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रूप तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनुरूपी कोई समरूप राशि है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में वेतन निर्धारित किया जाएगा।

उदाहरण:

1. विद्यमान वेतन बैंड: पीवी-1	वेतन बैंड	5200-20200				
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400		ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 10160	लेवल	1	2	3	4	5
4. विद्यमान मूल वेतन: 12560 (10160+2400)	1	18000	19900	21700	25500	29200
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 12560 x 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 4	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	2870	32900
7. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि): 32300.	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900
	8	22100	24500	26800	31400	35900

	9	22800	25200	27600	32300	37000
	10	23500	26000	28400	33300	38100
	11	24200	26800	29300	34300	39200

- (ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन या प्रथम कोष्ठिका की राशि उपर्युक्त उप-खण्ड (i) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, उस प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम पर अथवा प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा;
- (ख) चिकित्सा अधिकारियों जिनके संबंध में प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है, के मामले में वेतन, संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगा:
- (i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में ऐसी तदनुसूची राशि दृश्यमान है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।
- (ii) प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरों के संबंध में आगे विनिश्चय किए जाने तक उप-खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

उदाहरण :

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-3	वेतन बैंड	15600-39100		
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400	ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 15600	लेवल	10	11	12
4. विद्यमान मूल वेतन : 21000	1	56100	67700	78800
5. मूल वेतन पर 25% प्रैक्टिसबंदी भत्ता: 5250	2	57800	69700	81200
6. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125% की दर से महंगाई भत्ता : 6563	3	59500	71800	83600
7. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: $21000 \times 2.57 = 53970$	4	61300	74000	86100
8. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ता: 6563 (5250 का 125%)	5	63100	76200	88700
9. क्रम सं. 7 और 8 का जोड़ = 60533	6	65000	78500	91400

10. 5400 ग्रेड वेतन (पीबी-3) का तदनुरूपी लेवल: लेवल 10	
11. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60533 के बराबर या अगली उच्चतर राशि): 61300	
12. संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250	
13. संशोधित वेतन + संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550	

- (2) यदि किसी पद को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप उन्नत किया गया है तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तदनुरूपी ग्रेड वेतन में संबंधित कर्मचारी द्वारा विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन जोड़ दिया जाएगा और फिर वेतन का निर्धारण उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार निर्धारित विधि से किया जाएगा। उदाहरण:

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1	वेतन बैंड	5200-20200				
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
3. विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160+2400)	लेवल	1	2	3	4	5
4. उन्नत ग्रेड वेतन: 2800	1	18000	19900	21700	25500	29200
5. निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन: 12960 (10160+2800)	2	18500	20500	22400	26300	30100
6. क्रम सं. 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन: 33307.20 (33307 में पूर्णांकित)	3	19100	21100	23100	27100	31000
7. ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 5	4	19700	21700	23800	27900	31900
8. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307 के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : 33900.	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	2380	26000	30500	34900

- (3) कोई रेलवे सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह छुट्टी वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

- (4) कोई रेलवे सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है तो वह 01 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।
- (5) निलंबन के अधीन रेलवे कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, संबंधित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा।
- (6) यदि स्थायी पद धारक कोई रेलवे सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए लागू वेतन संरचना का विलय एक लेवल में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप-नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जाएगा।
- (7) यदि किसी रेलवे सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हैं तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी वृद्धोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
- (8) यदि कोई रेलवे सेवक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में उसी काडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ रेलवे सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप-नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।
- (9) यदि किसी रेलवे सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अंतर उस रेलवे सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी वृद्धोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
- (10) (i) ऐसे मामलों में जहां कोई वरिष्ठ रेलवे सेवक जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ रेलवे सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा-निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्वधीन कनिष्ठ रेलवे सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात् :-
 - (क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों रेलवे सेवक एक ही काडर के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी काडर के समरूप पद हों;
 - (ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, की संशोधन-पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना समरूप हों;
 - (ग) प्रोन्नति के समय वरिष्ठ रेलवे सेवक कनिष्ठ के वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।
 - (घ) विसंगति सीधे तौर पर भारतीय रेल सेवा स्थापना संहिता, बॉल्यूम II के नियम 1313 (एफआर 22) अथवा संशोधित वेतन संरचना में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो :

बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप-नियम के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।

(ii) खंड (i) के अनुसरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश भारतीय रेल सेवा स्थापना संहिता, वॉल्यूम II के नियम 1321 (एफआर 27) के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

(11) नियम 5 के उपबंधों के अध्वधीन यदि उप-नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर यथा-निर्धारित वेतन, वास्तविक पद में निर्धारित वेतन से कम है, तो स्थानापन्न वेतन वास्तविक वेतन के स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा।

8. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण- 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का वेतन उस पद पर जिस पर कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

वर्शते, कि 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती हैं तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढोतरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

9. वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि - वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की लम्बवत् कोष्ठिका में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

उदाहरण:

लेवल 4 में 32300 रुपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लंबवत् नीचे की ओर कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन 33300 हो जाएगा।

वेतन बैंड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23000	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	32300	37000
				↓	
10	23500	26000	28400	33300	38000
11	24200	26800	29300	34300	39200

10. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख -

- (1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई।

बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।

- (2) ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण:

क. ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई, 2016 और 01 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई है, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

ख. ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जनवरी, 2016 और 01 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को प्राप्य होगी।

बशर्ते यह भी कि 01 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को प्राप्य होगी।

(3) ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ रेलवे सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ रेलवे सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ रेलवे सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ रेलवे सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

11. 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् तारीख से वेतन का संशोधन - यदि कोई रेलवे कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

12. केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की वेतन-रक्षा: यदि केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के अधीन केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में या तो इन नियमों के अनुसार या उस पद पर जिस पर वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं, ऐसे निर्धारण को विनियमित करने वाले निर्देशों के अनुसार निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् उस वेतन से कम होता है जिसके हकदार वे अधिकारी रहे होते यदि वे केन्द्रीय

प्रतिनियुक्ति की बजाए अपने मूल कांडर में रहे होते और वह वेतन आहरित किया होता, तो वेतन में ऐसे अन्तर की संरक्षा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में की जाएगी।

13. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण - संशोधित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रोन्नति के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:

- (i) एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी प्रोन्नत किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें प्रोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें प्रोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

उदाहरण:

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4	वेतन बैंड	5200-20200				
	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन: 28700	लेवल	1	2	3	4	5
3. प्रोन्नति/एमएसीपी स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29600	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

- (ii) प्रैक्टिस-बंदी भत्ता प्राप्त करने वाले रेलवे सेवकों के संबंध में मूल वेतन+प्रैक्टिस-बंदी भत्ता, शीर्ष लेवल और मंत्रिमंडल सचिव के लेवल के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।

14. वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि - बकाया राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2016-17 में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ: किसी रेलवे सेवक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अभिप्राय निम्नलिखित के बीच अंतर से है:

- (i) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार इन नियमों के अधीन अपने वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़; और
- (ii) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।

15. नियमों का प्रत्यादेशी प्रभाव - रेलवे के मूल नियमों, रेल सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 1947, रेल सेवा (प्राधिकृत वेतन) नियम, 1960, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1986, रेल सेवा

(संशोधित वेतन) नियम, 1997 और रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के उपबंध, इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत हैं, लागू नहीं होंगे जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।

16. शिथिलीकरण की शक्ति - राष्ट्रपति का समाधान होने पर कि इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबंध के परिचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, के अध्वधीन रहते हुए उस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।

17. निर्वचन - यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो विनिश्चय के लिए इसे रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाएगा।

अनुसूची

[नियम 3 (vi) और 7 (2) देखें]

भाग - क

वेतन मैट्रिक्स

उन पदों, जिनके लिए अलग से संशोधित वेतन संरचना जारी की गई है, को छोड़कर समूह 'क', 'ख', एवं 'ग' के वेतनमान वाले पदों के लिए संशोधित वेतन संरचना

वेतन ईड	5200-20200					9300-34800				15600-39100			37400-67000			67000- 79000	75500- 80000	80000
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000			
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13क	14	15	16	17
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600	
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900	
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400	
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100		
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300		
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53800	56900	63300	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600		
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100		
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	150200	166100	182700			
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	154700	171100	188200			
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	159300	176200	193800			
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	164100	181500	199600			
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	169000	186900	205600			
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	174100	192500	211800			
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	179300	198300	218200			
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	184700	204200				

वर्ग	5200-20200					9300-34800				15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000
	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000			
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13*	14	15	16	17
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	190200	210300				
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	195900	216600				
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	201800					
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	207900					
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400	214100					
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700						
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100						
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600						
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300						
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100						
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100						
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117900	124500	150800	175200						
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500						
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	132000	160000	185900						
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	136000	164800	191500						
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	140100	169700	197200						
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122600	136500	144300	174800	203100						
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	148600	180000	209200						
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	153100	185400							
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	157700	191000							
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	162400	196700							
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300	202600							
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	172300	208700							
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800	177500								

टिप्पणी

- संशोधित वेतनमान रेलवे कर्मचारियों की समस्त कोटियों के लिए, उनके पदनाम का विचार किए बिना पूर्णतः वर्तमान वेतनमान के आधार पर लागू हैं, सिवाय उनके, जिनके लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान किया जाए।
- संशोधित वेतन ढांचे में रेलवे कर्मचारियों का समूह "ग" "ख" और "क" में मौजूदा वर्गीकरण अगले आदेशों तक वर्तमान वेतनमान के आधार पर ही रहेगा, सिवाय रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से यथानिर्धारित संशोधित वेतनमानों में वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

विकल्प का फॉर्म

{नियम 6 (2) देखें}

*1. मैं, _____ 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना का चयन करता हूँ/करती हूँ।

*2. मैं, _____ अपने निम्न-उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में :

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक/मेरी पश्चात्तवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक जब मेरा वेतन बढ़कर _____ रुपए हो जाए/मेरे, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/ _____ के पद पर मेरी प्रोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ:

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं _____

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों से विपरीत रीति में निर्धारित हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

तारीख:

स्थान:

रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 का स्पष्टीकरण ज्ञापन

नियम 1 – यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

नियम 2 – इस नियम में कर्मचारियों जिन पर ये नियम लागू होते हैं, के वर्ग निर्धारित किए गए हैं। उप-नियम (2) के अधीन छोड़े गए वर्गों के सिवाए, ये नियम रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में सेवारत व्यक्तियों जिन पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है, पर लागू होते हैं।

नियम 3 और 4 – ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।

नियम 5 – आशय यह है कि उन कर्मचारियों जो मौजूदा वेतन संरचना का चयन करते हैं, के सिवाए सभी रेलवे सेवकों को संशोधित वेतन संरचना में लाया जाए। रेलवे सेवक जो विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने के विकल्प का प्रयोग करेंगे, 01 जनवरी, 2016 को प्रभावी दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करते रहेंगे। यदि कोई रेलवे सेवक वास्तविक हैसियत में स्थायी पद पर है और उच्चतर पद पर स्थानापन्न है, अथवा प्रतिनियुक्ति आदि पर न होता तो एक या एकधिक पदों पर स्थानापन्न रहा होता तो उसके पास केवल एक

वेतनमान के संबंध में ही विद्यमान वेतन संरचना को बनाए रखने का विकल्प है। ऐसा कोई रेलवे सेवक किसी स्थायी पद अथवा किसी एक स्थानापन्न पद के लिए लागू विद्यमान वेतनमान बरकरार रख सकता है। शेष पदों के संबंध में उसे अनिवार्य रूप से संशोधित वेतन संरचना में शामिल किया जाना होगा।

नियम 6 - इस नियम में वह रीति विहित की गई है जिसमें विकल्प का प्रयोग किया जाना है और वह प्राधिकारी भी निर्धारित किया गया है जिसे ऐसे विकल्प की सूचना दी जाएगी। इस विकल्प का प्रयोग इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म में किया जाना है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी रेलवे सेवक के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा में इस विकल्प का प्रयोग करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय-सीमा में वह विकल्प विहित प्राधिकारी के पास पहुंच भी जाए। ऐसे व्यक्तियों जो इन नियमों की अधिसूचना के समय भारत से बाहर हैं, के मामले में वह अवधि जिसके अंदर इस विकल्प का प्रयोग किया जाना है, भारत में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन माह की है। ऐसे रेलवे सेवकों जिनके पदों की संशोधित वेतन संरचना इन नियमों को जारी किए जाने की तारीख के पश्चात् घोषित की जाती है, के मामले में तीन माह की अवधि ऐसी घोषणा की तारीख से शुरू होगी।

ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हो गए हैं, भी इस विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं।

नियम 7 - यह नियम 01 जनवरी, 2016 को संशोधित वेतनमान में वेतन के वास्तविक निर्धारण से संबंधित है और स्वतः स्पष्ट है। इस नियम का लाभ ऐसे मामलों में स्वीकार्य नहीं हैं जिनमें रेलवे सेवक ने अपने वास्तविक पद के संबंध में संशोधित वेतन संरचना का चयन कर लिया है, किन्तु जिसने किसी स्थानापन्न पद के संबंध में विद्यमान वेतनमान को बरकरार रखा है।

नियम 8 - इस नियम में, 01 जनवरी, 2016 को अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण की रीति विहित की गई है।

नियम 9 और 10 - इन नियमों में वह रीति विहित की गई है जिसके अनुसार नई वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि विनियमित की जाएगी।

नियम 11 से 17 - ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।

[फा. सं. पीसी-VII/2016/आरएसआरपी/1]

आर. के. बर्मा, सचिव/रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2016

RBE No. 90/2016

G.S.R. 746(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. *Short title and commencement* : -

- (1) These rules may be called the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

2. *Categories of Railway servants to whom the rules apply* : -

- (1) Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to persons appointed to Railway services.
- (2) These rules shall not apply to : -
 - (i) Permanent employees of former Indian States absorbed in Railway Services so long as such persons continue to be governed by the pre-absorption conditions of service under the Railway Services;
 - (ii) persons locally recruited for services in Diplomatic, Consular or other Indian establishments in foreign countries;
 - (iii) persons not in whole-time employment;

- (iv) persons paid out of contingencies;
- (v) persons paid otherwise than on a monthly basis including those paid only on a piece-rate basis;
- (vi) persons employed on contract except where the contract provides otherwise;
- (vii) persons re-employed in Railway service after retirement;
- (viii) any other class or category of persons whom the President may, by order, specifically exclude from the operation of all or any of the provisions contained in these rules.

3. **Definitions:** - In these rules, unless the context otherwise requires: -

- (i) "existing basic pay" means pay drawn in the prescribed existing Pay Band and Grade Pay or pay in the existing scale;
- (ii) "existing Pay Band and Grade Pay" in relation to a Railway servant means the Pay Band and the Grade Pay applicable to the post held by the Railway servant as on the date immediately before the notification of these Rules whether in a substantive capacity or in officiating capacity;
- (iii) "existing scale" in relation to a Railway servant means the pay scale applicable to the post held by the Railway Servant as on the date immediately before the notification of these Rules in the Higher Administrative Grade, Higher Administrative Grade + and the Apex scale whether in a substantive or officiating capacity;
- (iv) "existing pay structure" in relation to a Railway Servant means the present system of Pay Band and Grade Pay or the Pay Scale applicable to the post held by the Railway Servant as on the date immediately before the coming into force of these Rules whether in a substantive or officiating capacity.

Explanation- The expressions "existing basic pay", "existing Pay Band and Grade Pay" and "existing scale", in respect of a Railway Servant who on the 1st day of January, 2016 was on deputation out of India or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, shall mean such basic pay, Pay Band and Grade Pay or scale in relation to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or officiating in higher post, as the case may be;

- (v) "existing emoluments" mean the sum of (i) existing basic pay and (ii) existing dearness allowance at index average as on 1st day of January, 2016;
- (vi) "Pay Matrix" means Matrix specified in Part A of the Schedule, with Levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding existing Pay Band and Grade Pay or scale;
- (vii) "Level" in the Pay Matrix shall mean the Level corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay or scale specified in Part A of the Schedule;
- (viii) "pay in the Level" means pay drawn in the appropriate Cell of the level as specified in Part A of the Schedule;
- (ix) "revised pay structure" in relation to a post means the Pay Matrix and the Levels specified therein corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay or scale of the post unless a different revised Level is notified separately for that post;
- (x) "basic pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the pay matrix;
- (xi) "revised emoluments" means the pay in the Level of a Railway servant in the revised pay structure; and
- (xii) "Schedule" means a schedule appended to these Rules.

4. **Level of posts:** - The Level of posts shall be determined in accordance with the various Levels as assigned to the corresponding existing Pay Band and Grade Pay or scale as specified in the Pay Matrix.

5. **Drawal of pay in the revised pay structure:** - Save as otherwise provided in these rules, a Railway servant shall draw pay in the Level in the revised pay structure applicable to the post to which he is appointed:

Provided that a Railway servant may elect to continue to draw pay in the existing pay structure until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing pay structure or until he vacates his post or ceases to draw pay in the existing pay structure:

Provided further that in cases where a Railway servant has been placed in a higher grade pay or scale between 1st day of January, 2016 and the date of notification of these Rules on account of promotion or upgradation, the Railway servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation, as the case may be.

Explanation 1 – The option to retain the existing pay structure under the provisos to this rule shall be admissible only in respect of one existing Pay Band and Grade Pay or scale.

Explanation 2 – The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post for the first time in Railway Service or by transfer from another post on or after the 1st day of January, 2016, and he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

Explanation 3 – Where a Railway servant exercises the option under the provisos to this rule to retain the existing pay structure of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that Pay Structure under Rule 1313 (FR 22) of Indian Railway Establishment Code, Volume II, or under any other rule or order applicable to that post, his substantive pay shall be substantive pay which he would have drawn had he retained the existing pay structure in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force, whichever is higher.

6. *Exercise of Option: –*

- (1) The option under the provisos to Rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to these Rules so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) within three months of the date of notification of these rules or where any revision in the existing pay structure is made by any order subsequent to the date of notification of these rules, within three months of the date of such order:

Provided that –

- (i) In the case of a Railway servant who is, on the date of such notification or, as the case may be, date of such order, out of India on leave or deputation or foreign service or active service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of the date of his taking charge of his post in India; and
 - (ii) where a Railway servant is under suspension on the 1st day of January, 2016, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.
- (2) The option shall be intimated by the Railway servant to the Head of his Office along with an undertaking, in the form appended to these rules.
 - (3) If the intimation regarding option is not received by the authority within the time specified in sub-rule (1), the Railway servant shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect from the 1st day of January, 2016.
 - (4) The option once exercised shall be final.

Note 1 - Persons whose services were terminated on or after 1st January, 2016 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

Note 2 - Persons who have died on or after the 1st day of January, 2016 and could not exercise the option within prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016 or such later date as is most beneficial to their dependents if the revised pay structure is more favourable and in such cases, necessary action for payment of arrears shall be taken by the Head of Office.

Note 3 - Persons who were on earned leave or any other leave on 1st day of January, 2016 which entitled them to leave salary shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

7. *Fixation of pay in the revised pay structure:-*

- (1) The pay of a Railway servant who elects, or is deemed to have elected under rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016, shall, unless in any case the President by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if such lien had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely :-

- (A) in the case of all employees :-

- (i) the pay in the applicable Level in the **Pay Matrix** shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a **factor of 2.57**, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.

Illustration:

1. Existing Pay Band : PB-1 2. Existing Grade Pay : 2400 3. Existing Pay in Pay Band : 10160 4. Existing Basic Pay: 12560 (10160+2400) 5. Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57 : $12560 \times 2.57 = 32279.20$ (rounded off to 32279) 6. Level corresponding to GP 2400 : Level 4 7. Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 32279 in Level 4): 32300.	Pay Band	5200-20200				
	Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800
	Levels	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900
	8	22100	24500	26800	31400	35900
	9	22800	25200	27600	32300	37000
	10	23500	26000	28400	33300	38100
	11	24200	26800	29300	34300	39200

- (ii) if the minimum pay or the first Cell in the applicable Level is more than the amount arrived at as per sub-clause (i) above the pay shall be fixed at minimum pay or the first Cell of that applicable Level.
- (B) In the case of medical officers in respect of whom Non Practicing Allowance (NPA) is admissible, the pay in the revised pay structure shall be fixed in the following manner :
- (i) the existing basic pay shall be multiplied by a factor of 2.57 and the figure so arrived at shall be added to by an amount equivalent to Dearness Allowance on the pre-revised Non-Practicing Allowance admissible as on 1st day of January, 2016. The figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.
- (ii) The pay so fixed under sub-clause (i) shall be added by the pre-revised Non Practicing Allowance admissible on the existing basic pay until further decision on the revised rates of Non Practicing Allowance.

Illustration:

1. Existing Pay Band : PB-3	Pay Band	15600-39100		
2. Existing Grade Pay : 5400				
3. Existing pay in Pay Band : 15600	Grade Pay	5400	6600	7600
4. Existing Basic Pay : 21000	Levels	10	11	12
5. 25% NPA on Basic Pay : 5250	1	56100	67700	78800
6. DA on NPA@ 125% : 6563	2	57800	69700	81200
7. Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57 : 21000 x 2.57 = 53970	3	59500	71800	83600
8. DA on NPA : 6563 (125% of 5250)	4	61300	74000	86100
9. Sum of serial no. 7 & 8 = 60533	5	63100	76200	88700
10. Level corresponding to Grade Pay 5400 (PB-3) : Level 10	6	65000	78500	91400
11. Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 60533 in Level 10): 61300				
12. Pre-revised Non Practicing Allowance : 5250				
13. Revised Pay + pre-revised Non Practicing Allowance : 66550				

- (2) Where a post has been upgraded as a result of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the existing basic pay will be arrived at by adding the Pay drawn by the concerned employee in the existing Pay Band plus the Grade Pay corresponding to the Level to which the post has been upgraded and, the fixation of pay shall be done in the manner prescribed in accordance with Clause (A) of sub rule (1).

Illustration:

1. Existing Pay Band : PB-1	Pay Band	5200-20200				
2. Existing Grade Pay : 2400						
3. Existing basic pay : 12560 (10160 + 2400)	Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800
4. Upgraded Grade Pay : 2800	Levels	1	2	3	4	5
5. Pay for the purpose of fixation : 12960 (10160+2800)	1	18000	19900	21700	25500	29200
6. Pay after multiplying serial number 5 with a fitment factor of 2.57 : 33307.20 (rounded off to 33307)	2	18500	20500	22400	26300	30100
7. Level corresponding to Grade Pay 2800 : Level 5	3	19100	21100	23100	27100	31000
8. Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 33307 in Level 5): 33900	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900

- (3) A Railway Servant who is on leave on the 1st day of January, 2016 and is entitled to leave salary shall be entitled to pay in the revised pay structure from 1st day of January, 2016 or the date of option for the revised pay structure.
- (4) A Railway servant who is on study leave on the 1st day of January, 2016 shall be entitled to the pay in the revised pay structure from 1st day of January, 2016 or the date of option.

- (5) A Railway servant under suspension, shall continue to draw subsistence allowance based on existing pay structure and his pay in the revised pay structure shall be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.
- (6) Where a Railway servant holding a permanent post is officiating in a higher post on a regular basis and the pay structure applicable to these two posts are merged into one Level, the pay shall be fixed under sub-rule (1) with reference to the officiating post only and the pay so fixed shall be treated as substantive pay.
- (7) Where the existing emoluments exceed the revised emoluments in the case of any Railway servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.
- (8) Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a Railway servant, who, in the existing pay structure, was drawing immediately before the 1st day of January, 2016 more pay than another Railway servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay structure in a Cell lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same Cell in the revised pay structure as that of the junior.
- (9) Where a Railway servant is in receipt of personal pay immediately before the date of notification of these rules, which together with his existing emoluments exceed the revised emoluments, then the difference representing such excess shall be allowed to such Railway servant as personal pay to be absorbed in future increase in pay.
- (10) (i) In cases where a senior Railway servant promoted to a higher post before the 1st day of January, 2016 draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 2016, the pay of senior Railway servant in the revised pay structure shall be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post and such stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior Railway servant subject to the fulfilment of the following conditions, namely: -
- Both the junior and the senior Railway servant belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted are identical in the same cadre;
 - the existing pay structure and the revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay are identical;
 - the senior Railway servants at the time of promotion are drawing equal or more pay than the junior;
 - the anomaly is directly as a result of the application of the provisions of Rule 1313 (FR 22) of Indian Railway Establishment Code, Volume II or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure :
- Provided that if the junior officer was drawing more pay in the existing pay structure than the senior by virtue of any advance increments granted to him, the provisions of this sub-rule shall not be invoked to step up the pay of the senior officer.
- (ii) The order relating to re-fixation of the pay of the senior officer in accordance with clause (i) shall be issued under Rule 1321 (FR 27) of Indian Railway Establishment Code, Volume II and the senior officer shall be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.
- (11) Subject to the provisions of rule 5, if the pay as fixed in the officiating post under sub-rule (1) is lower than the pay fixed in the substantive post, the former shall be fixed at the same stage as the substantive pay.

8. **Fixation of pay of employees appointed by direct recruitment on or after 1st day of January, 2016:** - The pay of employees appointed by direct recruitment on or after 1st day of January, 2016 shall be fixed at the minimum pay or the first Cell in the Level, applicable to the post to which such employees are appointed :

Provided that where the existing pay of such employee appointed on or after 1st day of January, 2016 and before the date of notification of these rules, has already been fixed in the existing pay structure and if his existing emoluments happen to exceed the minimum pay or the first Cell in the Level, as applicable to the post to which he is appointed on or after 1st day of January, 2016, such difference shall be paid as personal pay to be absorbed in future increments in pay.

9. **Increments in Pay Matrix:** - The increment shall be as specified in the vertical Cells of the applicable Level in the Pay Matrix.

Illustration:

An employee in the Basic Pay of 32300 in Level 4 will move vertically down the same Level in the cells and on grant of increment, his basic pay will be 33300.

Pay Band	5200-20200				
Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800
Levels	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	32300	37000
				↓	
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

10. Date of next increment in the revised pay structure: -

- (1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July:

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment, promotion or grant of financial upgradation.

- (2) The increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation including upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation including upgradation under MACPS during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

Illustration:

- (a) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or under MACPS during the period between the 2nd day of July, 2016 and the 1st day of January, 2017, the first increment shall accrue on the 1st day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.
- (b) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy or under MACPS during the period between 2nd day of January, 2016 and 1st day of July, 2016, who did not draw any increment on 1st day of July, 2016, the next increment shall accrue on 1st day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis:

Provided that in the case of employees whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1st day of January, 2016 the next increment in the Level in which the pay was so fixed as on 1st day of January, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2016:

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1st day of July, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2017.

- (3) Where two existing Grades in hierarchy are merged and the junior Railway servant in the lower Grade happens to draw more pay in the corresponding Level in the revised pay structure than the pay of the senior Railway servant, the pay of the senior Railway servant shall be stepped up to that of his junior from the same date and he shall draw next increment in accordance with this rule.

11. **Revision of pay from a date subsequent to 1st day of January, 2016:**—Where a Railway servant who continues to draw his pay in the existing pay structure is brought over to the revised pay structure from a date later than 1st day of January, 2016, his pay in the revised pay structure shall be fixed in the manner prescribed in accordance with clause (A) of sub-rule (1) of rule 7.

12. **Pay protection to officers on Central deputation under Central Staffing Scheme:**—If the pay of the officers posted on deputation to the Central Government under Central Staffing Scheme, after fixation in the revised pay structure either under these rules or as per the instructions regulating such fixation of pay on the post to which they are appointed on deputation, happens to be lower than the pay these officers would have been entitled to, had they been in their parent cadre and would have drawn that pay but for the Central deputation, such difference in the pay shall be protected in the form of Personal Pay with effect from the date of notification of these rules.

13. **Fixation of pay on promotion on or after 1st day of January, 2016:**—The fixation of pay in case of promotion from one Level to another in the revised pay structure shall be made in the following manner, namely:—

- (i) One increment shall be given in the Level from which the employee is promoted and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which promoted and if no such Cell is available in the Level to which promoted, he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

Illustration:

1.	Level in the revised pay structure : Level 4	Pay Band	5200-20200				
2.	Basic Pay in the revised pay structure : 28700	Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800
3.	Granted promotion/financial upgradation under MACPS in Level 5	Levels	1	2	3	4	5
		1	18000	19900	21700	25500	29200
		2	18500	20500	22400	26300	30100
4.	Pay after giving one increment in Level 4 : 29600	3	19100	21100	23100	27100	31000
		4	19700	21700	23800	27900	31900
5.	Pay in the upgraded Level i.e. Level 5 : 30100 (either equal to or next higher to 29600 in Level 5)	5	20300	22400	24500	28700	32900
		6	20900	23100	25200	29600	33900
		7	21500	23800	26000	30500	34900

- (ii) In the case of Railway servants receiving Non Practicing Allowance, their basic pay plus Non Practicing Allowance shall not exceed the average of basic pay of the revised scale applicable to the Apex Level and the level of the Cabinet Secretary.

14. **Mode of payment of arrears of pay:**—The arrears shall be paid during the Financial Year 2016-2017.

Explanation.—For the purpose of this rule, “arrears of pay” in relation to a Railway servant, means the difference between—

- (i) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he is entitled on account of the revision of his pay under these rules for the period effective from the 1st day of January, 2016; and
- (ii) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he would have been entitled (whether such pay and dearness allowance had been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised.

15. **Overriding effect of Rules.**—The provisions of the Railway Fundamental Rules, the Railway Services (Revision of Pay) Rules, 1947, the Railway Services (Authorised Pay) Rules, 1960, the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1973, the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1986, the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 and the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 shall not save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules.

16. **Power to relax.**-Where the President is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

17. **Interpretation.**- If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these Rules, it shall be referred to the Railway Board for decision.

SCHEDULE

[See rules 3(vi) and 7(2)]

PART - A

Pay Matrix

Revised Pay Structure for posts in Group 'C', 'B', & 'A' except posts for which different revised pay structure is issued separately

Existing Pay Band	5200-20200					9300-34800				15600-39100				37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000
Existing Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13A	14	15	16	17	
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000	
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600		
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900		
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400		
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100			
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300			
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600			
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100			
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	150200	166100	182700				
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	154700	171100	188200				
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	159300	176200	193800				
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	164100	181500	199600				
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	169000	186900	205600				
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	174100	192500	211800				
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	179300	198300	218200				
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	184700	204200					
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	190200	210300					
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	195900	216600					
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	201800						
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	207900						
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400	214100						
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700							
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100							
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600							
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300							
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100							
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100							
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200							
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500							
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	132000	160000	185900							
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	136000	164800	191500							

Existing Pay Band	5200-20200					9300-34800				15600-39100				37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000
Existing Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13A	14	15	16	17	
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	140100	169700	197200							
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500	144300	174800	203100							
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	148600	180000	209200							
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	153100	185400								
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	157700	191000								
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	162400	196700								
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300	202600								
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	172300	208700								
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800	177500									

Notes:

1. The revised pay structure is applicable to all categories of Railway servants irrespective of their designations strictly on the basis of the existing pay structure except as may be specifically prescribed otherwise by Ministry of Railways (Railway Board).
2. The existing classification of Railway servants in Group 'C', 'B' & 'A' on the basis of the existing pay structure will continue in the revised pay structure till further orders except as may be specifically prescribed otherwise by Ministry of Railways (Railway Board). No change in the classification should be made in the revised pay structure.

FORM OF OPTION

[See Rule 6 (2)]

*1. I, _____ hereby elect the revised pay structure with effect from 1st January, 2016.

*2. I, _____ hereby elect to continue on Pay Band and Grade Pay of my substantive / officiating post mentioned below until:

* the date of my next increment / the date of my subsequent increment raising my pay to Rs. _____ / I vacate or cease to draw pay in the existing pay structure / the date of my promotion/upgradation to the post of _____.

Existing Pay Band and Grade Pay _____

Signature _____

Name _____

Designation _____

Office in which employed _____

* To be scored out, if not applicable.

UNDERTAKING

I hereby undertake that in the event of my pay having been fixed in a manner contrary to the provisions contained in these Rules, as detected subsequently, any excess payment so made shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Signature _____

Name _____

Designation _____

Date :

Place :